क्रमांक 254/2020

<u>**कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (म0प्र0)**</u>

<u>–:::परिपत्र:::–</u>

जावक क्र0 क्यू/कोरोना/2020 नरसिंहपुर दिनांक 21.09.2020

<u>**कोविड–19 वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सामान्य निर्देश**</u>

1. **ए**–भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर कोविड–19 वायरस के अप्रसार के संबंध में जारी किये गये परिपत्रों/ज्ञापनों/गाइड लाईन्स का सख्ती से पालन किया जावे।

बी–सभी न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण व आवश्यक पक्षकार मास्क लगाकर ही न्यायालय परिसर/भवन में प्रवेश करेंगे।

सी–न्यायालय कक्षों में केवल न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारी गण/कोर्टमुंशी ही प्रवेश करेंगे। इनके अलावा अन्य कोई न्यायालय कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा।

डी–सभी न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण व आवश्यक पक्षकार न्यायालय भवन में प्रवेश द्वार पर अपने हाथों को सेनेटाईज्ड करने/हाथों को साबुन से धोने के उपरांत एवं प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग कराकर ही न्यायालय भवन में प्रवेश करेंगे।

ई–सभी न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण कोविड–19 संक्रमण का संदेह होने पर अपना कोविड–19 टेस्ट कराये जाने के तथ्य की सूचना लिखित में/ईमेल के माध्यम से कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे तथा टेस्ट कराये जाने के समय से रिपोर्ट निगेटिव आने तक होम क्वारनटाईन में रहेंगे तथा कोविड–19 के टेस्ट की रिपोर्ट पॉजीटिव आने पर तत्काल सूचना कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

एफ–सभी अधिवक्तागण, कर्मचारीगण एवं पक्षकारगण आपस में सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखेंगे और कम से कम डेढ से दो मीटर की दूरी उनके बीच रहे, यह सुनिश्चित करेंगे।

जी–अधिवक्तागण वी.सी पाइंट/रिमोट पाइंट के पास बनाये गये सर्किलों पर ही खडे होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन करेंगे।

एच–सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण अपने पास हेंड सेनेटाईजर की छोटी बॉटल रखेंगे एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखेंगे।

आई–सभी न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारीगण, जिनके विश्राम कक्ष/कार्यालय में सी.सी.टी.वी कैमरों की निगरानी मॉनीटर लगा हुआ हो, वह कार्यालयीन दिवस पर प्रतिदिन क्रमशः 12 बजे, 2 बजे एवं 4 बजे इस संबंध में लिखित में जिला नाजिर/नायब नाजिर को सूचित करेंगे कि कौन कौन से अधिकारीगण/अधिवक्तागण/कर्मचारीगण/कोर्ट मुंशी बिना मास्क के न्यायालय भवन में उपस्थित होकर मौजूद है।

न्यायालय भवन/परिसर में प्रवेश

2. न्यायालय परिसर में केवल अधिवक्ताओं/पुलिस/शासकीय कर्मचारियों/आवश्यक पक्षकारों को ही प्रवेश दिया जावेगा। किसी भी पक्षकार को केवल तभी प्रवेश दिया जावेगा, जबकि उसकी ओर से कोई अधिवक्ता नहीं है अथवा उसकी उपस्थिति अनिवार्य है।

वीडियो कांफ्रेसिंग द्वारा सुनवाई

3. प्रत्येक मामले में सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से ही की जावेगी। संबंधित न्यायालयों के लिए न्यायालय भवन/परिसर में स्थापित रिमोट पाइंट/वीडियो कांफ्रेसिंग सिस्टम से ही अधिवक्ता/आवश्यक पक्षकार अपना पक्ष रख सकेंगे। अंतिम तर्क के मामलों में लिखित तर्क प्रस्तुत करने को प्राथमिकता दी जाना वांछित है। सभी विद्वान अधिवक्ताओं को अपने कार्यालय/निवास से ही वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे और कोरोना संक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से विद्वान अधिवक्तागण को अपने कार्यालय/निवास से ही वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। लिंक किस तरह प्राप्त होगी, इस संबंध में पूर्व में समय-समय पर परिपत्र/ज्ञापन जारी किये गए है और इस संबंध में कोई असुविधा होने पर तत्समय श्री सैयद शोएव अली सिस्टम आफीसर के मोबाईल नंबर 8319236069, श्री शेख नजीव कादरी सहायक ग्रेड-3 के मोबाईल नंबर 9981926953, श्री दीपक कुमार दीक्षित सहायक ग्रेड-3 के मोबाईल नंबर 8819814030 से सम्पर्क किया जा सकता है।

कॉजलिस्ट और केसेज

4. प्रत्येक न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों की कॉज-लिस्ट तैयार की जावेगी, जिनमें सुनवाई (अंतिम निराकरण हेतु) की जानी है और यह कॉजलिस्ट जिला न्यायालय की वेबसाईट dcourtnar-mp@nic.in पर अपलोड की जावेगी।

अन्य निर्देश

5. सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण माननीय उच्च न्यायालय, म0प्र0शासन एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों,/एडवाईजरी/निर्देशों का अक्षरसः पालन सुनिश्चित करेंगे। सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण नियत समय अर्थात प्रातः 10.30 बजे आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे।

6. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर/नायब नाजिर सुरक्षा कर्मियों के सहयोग से यह सुनिश्चित करेंगे कि अनाधिकृत व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश न करें।

7. अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा न्यायालय परिसर/न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने पर एवं शासकीय आदेशों/नियमों को पालन न करने पर उनके

विरूद्ध भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्रों/आदेशों के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

Sd/-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नरसिंहपुर (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक क्यू/कोरोना/2020 नरसिंहपुर दिनांक 21.09.2020

1. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ नरसिंहपुर/तहसील अधिवक्ता संघ तहसील गाडरवारा की ओर सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी सदस्यों को अवगत कराने का कष्ट करें।

3. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. समस्त न्यायिक अधिकारीगण नरसिंहपुर/गाडरवारा की ओर पालनार्थ प्रेषित।

5. प्रभारी अधिकारी/सिस्टम आफीसर जिला न्यायालय नरसिंहपुर की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई–मेल से सूचित किए जाने एवं जिला न्यायालय की बेबसाईट पर अपलोड किए जाने के निर्देश के साथ प्रेषित।

6. कलेक्टर जिला नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7. पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित करें कि निर्धारित समय में ही अभियोग पत्र, केस डायरी व रिमांड आदि पी.डी.एफ.फार्मेट में प्रस्तुत किए जावें।

8. अधीक्षक केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

9. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, जिला एवं सत्र न्यायालय नरसिंहपुर एवं सिविल न्यायालय गाडरवारा जिला नरसिंहपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर चस्पा कराया जावे।

10. अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी जिला शाखा नरसिंहपुर की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

11. संचालक जनसंपर्क कार्यालय नरसिंहपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी दैनिक समाचार पत्रों में उक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करें।

12. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर/नायब नाजिर जिला एवं सत्र न्यायालय नरसिंहपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे एवं सभी कर्मचारियों को सूचित करना सुनिश्चित करें।

13. जिला नाजिर/नायब नाजिर मुख्यालय नरसिंहपुर/सिविल न्यायालय गाडरवारा की ओर इस निर्देश के साथ कि एक प्रति तत्काल न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एवं नोटिस वोर्ड पर चस्पा की जावे।

21.9.20
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नरसिंहपुर (म0प्र0)